शांतिभंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

रामपुर | निज संवाददाता

अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन अविनाश चन्द्र ने कहा कि पंचायत चुनाव में संभावित प्रत्याशी एवं मतदाता शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। यदि कहीं शांतिभंग होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वह धमोरा स्थित देव गार्डन में संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 अहम है। गांव की संसद का यह चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए होता है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था कायम कराने में सहयोग प्रदान करे। उन्होंने आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुए उसका पालन करने के लिए अपील की। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के दृष्टिगत मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने आदि के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम, अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह, क्षेत्राधिकारी केमरी ओंकार नाथ शर्मा, थाना प्रभारी शहजादनगर रहे।

धमोरा में प्रत्याशियों की बैठक लेते एडीजी। ● हिन्दुस्तान

एडीजी ने चुनाव में लोगों से सहयोग मांगा

धमोरा स्थित देव गार्डन में संभ्रांत व्यक्तियों की बैठक में बोले अपर पुलिस महानिदेशक

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर। अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन अविनाश चंद ने कहा कि पंचायत चुनाव में संभावित प्रत्याशी एवं मतदाता शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। यदि कहीं शांतिभंग होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वह धमोरा स्थित देव गार्डन में संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 अहम है। गांव की संसद का यह चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए होता है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था कायम कराने में सहयोग प्रदान करे। उन्होंने आचार संहिता का पालन करने की अपील की। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के दृष्टिगत मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने आदि के बरे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम, अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह, क्षेत्राधिकारी केमरी ओंकार नाथ शर्मा, थाना प्रभारी शहजादनगर, मिलक, पटवाई आदि मौजूद रहे।

रामपुर क्षेत्र के देव गार्डन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सामान्य निर्वाचन के संबंध में संभ्रांत लोगों के साथ बैठक करते एडीजी अविनाश चंद्र। संवाद

शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अपराधियों पर कसें शिकंजा

अमरोहा। डीआईजी ने पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अपराधियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। असामाजिक तत्वों को मुचलका पाबंद करने के साथ हिस्ट्रीशीटर, वारंटी अन्य अपराधियों को जेल भेजने के निर्देश दिए। करीब ढाई घंटे चली बैठक में पुलिस को निष्पक्षता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया गया। मुरादाबाद आईजी रमित शर्मा के तबादले के बाद डीआईजी शलभ माथुर ने परिक्षेत्र का चार्ज संभाला है। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। संवाद

लोगों को जानकारी देते एडीजी अविनाश चंद्र, साथ में एसएसपी रोहित सिंह सजवाण।

एडीजी ने संवेदनशील गांव नदेली में परखी व्यवस्था

अमृत विचार, बहेड़ी

एडीजी अविनाश चंद्र ने एसएसपी रोहित सिंह सजवाज के साथ संवेदनशील गांव नदेली का दौरा किया।

लोगों को निर्विवाद रहकर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की। लोगों से बातचीत के दौरान एडीजी ने पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से लेकर शासन के मंशा की जानकारी दी। वहीं गांव के लोगों को बताया गया कि गांव का संवेदनशील श्रेणी में आने से पुलिस की निगरानी भी तेज हो गई है। इसलिए सभी से अपेक्षा है कि चुनाव को एक पर्व के रूप में ही देखें। मामूली सी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाएं। एडीजी ने आचार संहिता लागू हो जाने के बाद लगने वाले प्रतिबंधों से भी लोगों को जागरूक किया।

संवेदनशील गांवों में एडीजी और एसएसपी का दौरा

बरेली। पंचायत चुनाव के दौरान संवेदनशील चिन्हित किए गए उत्तराखंड सीमा के गांव नदेली में एडीजी और एसएसपी ने बृहस्पतिवार को बैठक कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। एसपी देहात भी फरीदपुर और भुता के संवेदनशील गांवों में पहुंचे। पिछले पंचायत चुनाव में उत्तराखंड सीमा से सटे थाना बहेड़ी के गांव नदेली में भारी विवाद हुआ था। मिश्रित आबादी वाला यह गांव अब संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। बृहस्पतिवार को एडीजी अविनाश चंद्र और एसएसपी रोहित सिंह सजवाण नदेली पहुंचे। यहां ग्रामीणों और प्रत्याशियों के साथ बैठक कर चुनाव में शांति बनाए रखने और कोई भी खुराफात होने पर उसकी सूचना पुलिस को देने के निर्देश दिए। **ब्यूरो**

तैयारियों का जायजा लेने बहेड़ी पहुंचे एडीजी-एसएसपी

बरेली | वरिष्ठ संवाददाता

एडीजी अविनाश चंद्र ने एसएसपी रोहित सिंह सजवाण के साथ शुक्रवार को बहेड़ी का दौरा किया। उन्होंने बहेड़ी में पिछले दिनों नदेली गांव में चुनाव के दौरान हुई मारपीट के मामले की समीक्षा की। पुलिस को कड़े निर्देश दिए कि पिछले चुनाव में जिन गुटों में मारपीट या कहासुनी हुई थी। उन दोनों गुटों से बात कर उनकी समस्याओं का समाधान करें।

इसके बाद एडीजी ने शाम को एसएसपी के साथ पुलिस लाइन में जिले के थानेदारों सीओ और एडिशनल एसपी के साथ बैठक की। एडीजी बोले, अपने इलाके के सभी मतदान केंद्रों का जायजा लें। संवेदनशील अतिसंवेदनशील बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करें। पंचायत चुनाव को लेकर प्रधान और विपक्षी दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत करें। खुराफात करने वालों को समय रहते मुचलका पाबंद करें। उन पर नजर रखें। बीट पुलिसिंग को सक्रिय करें। कहीं भी अवैध शराब बांटने, प्रलोभन देकर चुनाव को प्रभावित करने की शिकायत मिलने पर फौरन कार्रवाई करें। सुरक्षित और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए हरसंभव तैयारी करें।

चुनाव में थी नकली शराब परोसने की तैयारी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : त्रिस्तरीय चुनाव में नकली व जहरीली शराब ग्रामीणों में परोसने की तैयारी हो रही है। गुरुवार को शराब तस्करों के इस खेल का भंडाफोड़ करते हुए पाकबड़ा पुलिस ने तीन आरोपितों को दबोच लिया। उनके कब्जे से हरियाणा मार्का 33 पेटी नकली शराब व एक स्कार्पियो बरामद की है।

थाना पाकबड़ा ने अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपित • जागरण

एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने बताया कि पंचायत चुनाव 2021 में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान छेड़ा है। पाकबड़ा कस्बा चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि पाकबड़ा कस्बे में जीएसटी धर्मकांटे के समीप कैलसा रोड पर अवैध शराब से भरी स्कार्पियो खड़ी है। पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान वाहन में 33 पेटी हरियाणा मार्का शराब मिली। बार कोड की जांच में फौरी तौर पर पता चला कि हरियाणा मार्का शराब पूरी तरह नकली है। पूछताछ से भी वह साफ नहीं हो पाया कि शराब हरियाणा में किस गोदाम अथवा दुकान से खरीदी गई है। तीनों आरोपितों की पहचान हसन निवासी डींगरपुर मुहल्ला जामा मस्जिद, मैनाठेर, गाड़ी मालिक व चालक यामीन निवासी मुहल्ला फैक्ट्री हाजी अब्दुल हबीब बैंक्वेट हाल डींगरपुर, मैनाठेर व जावेद निवासी ढकिया चमन थाना डिडौली, अमरोहा के रूप में हुई। बरामद अवैध अंग्रेजी शराब कीमत करीब ढाई लाख रुपये आंकी गई। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह शराब की खेप पंचायत चुनाव में ग्रामीणों के बीच परोसने के लिए ले जा रहे थे। मैनाठेर का रहने वाले हसन के खिलाफ गोकुशी का अभियोग स्थानीय थाने में दर्ज है। तीनों आरोपित कोर्ट में पेश किए गए। वहां से तीनों को जेल भेज दिया गया।

कांठ में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़

जासं, मुरादाबाद : कांठ पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। आबकारी निरीक्षक अखिलेश कुमार व उपनिरीक्षक दीपक कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम मिलक खेमपुर में छापेमारी की। वहां के रहने वाले स्वर्ण सिंह व सुखविंदर के कब्जे से 15 पेटी अवैध देशी शराब व बगैर लेबल के 1,000 पव्वे तथा छह प्लास्टिक की अल्कोहल से भरी केन बरामद हुई। 50 लीटर अल्कोहल के अलावा 10,000 नकली क्यूआर कोड, अवैध शराब निर्माण की अन्य सामग्री तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। आरोपितों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में 20-20 साल कैद की सजा

दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

गजरौला थाना क्षेत्र के गांव में वर्ष-15 हुई थी घटना

जागरण संवाददाता, अमरोहा : नाबालिग से सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दो युवकों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों युवक जमानत पर जेल से बाहर थे।

यह मामला गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले किसान की 16 वर्षीय बेटी एक मई 2015 की शाम शौच के लिए जंगल गई थी। गांव के ही दो युवक सुरेश व मोहनलाल ने उसे पकड़ लिया था तथा दुष्कर्म किया था। घर आकर पीड़िता ने स्वजन को घटना की जानकारी दी।

पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सुरेश व मोहनलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर छूट आए।

अब यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चल रहा था। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट वसंत सिंह सैनी ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। गुरुवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। इसके साथ ही दोनों को हिरासत में ले लिया गया।

अदालत ने दोनों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।